ई–मेल/समयबद्ध
संख्या–23५५/सत्तर–4–2021

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ :दिनांक 1७ नवम्बर, 2021

विषयः–वित्तीय वर्ष 2021–22 में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में एक्सपर्ट पैनल की बैठक दिनांक 26.10.2021 को आयोजित की गयी, जिसमें एक्सपर्ट पैनल द्वारा निम्नवत् सुझाव दिया गया है:–

1. सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों को त्वरित इलेक्ट्रानिक माध्यमों के द्वारा संसूचित कर विज्ञान वर्ग के अध्यापकों द्वारा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना के अतिरिक्त प्रस्ताव अविलम्ब रूप से एक सप्ताह के भीतर उचित माध्यम द्वारा आमंत्रित कर लिया जाय।
2. यह भी सूच्य है कि यथासमय शासन द्वारा शैक्षणिक उन्नयन के प्रस्तावों का शैक्षिक समुदाय में वृहद रूप से प्रचारित–प्रसारित किया जाय। इसके लिए अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, सेमिनार सिम्पोजियम इत्यादि की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अवश्य सम्प्रेषित की जाय तथा विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के ई–मेल एवं व्हाट्स एप ग्रुप पर भी प्रसारित की जाय।
3. सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स से सम्बन्धित कतिपय प्रस्ताव विश्वविद्यालय के सेल्फ फाइनेन्स विभागों द्वारा प्रेषित किये जा रहे हैं, जो गाईड लाइन के विपरीत है। रेगुलर विभागों के ही प्रस्ताव विश्वविद्यालयों से प्राप्त किये जाने हेतु उन्हें निदेशित किया जाय।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, सेमिनार सिम्पोजियम इत्यादि की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराकर, शिक्षकों के ई–मेल एवं व्हाट्स एप ग्रुप पर प्रसारित कर कृत कार्यवाही की सूचना से शासन को शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर - 273009

पत्रांक : 1045 /साप्र/2021 दिनांक : २५.11.2021

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपर्युक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय / विभागाध्यक्ष।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण।
3. प्रभारी, ई0डी0पी0सेल।
4. सचिव कुलपति, कुलपति कार्यालय, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. वै0स0 कुलसचिव।

कुलसचिव